

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

सं० सं०-4/विधि-8-138/2018 439(4) पटना, दिनांक- 8/3/19
राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित निम्नांकित फार्मासिस्टों के द्वारा
उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन के आलोक में उनकी प्रतिनियुक्ति कॉलम-04 में अंकित
संस्थान में दिनांक-31.12.2019 तक के लिए की जाती है:-

| क्रम सं० | नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थल | प्रतिनियुक्ति स्थल |
|----------|---|--|---------------------------------|
| 1. | श्री वृज कुमार साहु, फार्मासिस्ट | सिविल सर्जन, दरभंगा | पी०एम०सी०एच०, पटना |
| 2. | श्रीमती चंचला कुमारी, फार्मासिस्ट | अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर, नालंदा | सिविल सर्जन, पटना |
| 3. | श्री धर्मेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचगछिया, सहरसा | सिविल सर्जन, जहानाबाद |
| 4. | श्री अवधेश प्रसाद सिंह, फार्मासिस्ट | अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, पथरा इंग्लीस सदर प्रखंड, नवादा | सिविल सर्जन, पटना |
| 5. | श्री जयराम शर्मा, फार्मासिस्ट | रेफरल अस्पताल, लौरिया, बेतिया | सिविल सर्जन, गया |
| 6. | श्री देवेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट | सिविल सर्जन, सहरसा | सिविल सर्जन, पटना |
| 7. | श्री प्रभात रंजन, फार्मासिस्ट | सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर | पी०एम०सी०एच०, पटना |
| 8. | श्री हरिहर प्रसाद सिन्हा, फार्मासिस्ट | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरौल, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोन्धो, गोरौल, वैशाली | एन०एम०सी०एच०, पटना |
| 9. | श्री शिवेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट | अति० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनग्राम, बेलागंज, गया | सिविल सर्जन, पटना |
| 10. | श्री अनिल कुमार सिंह, फार्मासिस्ट | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनगर, मधुबनी | सिविल सर्जन, औरंगाबाद |
| 11. | श्री सुनील कुमार, फार्मासिस्ट | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेलपा, अरवल | सिविल सर्जन, पटना |
| 12. | श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, फार्मासिस्ट | सिविल सर्जन, बाँका | सिविल सर्जन, पटना |
| 13. | श्री शिवशंकर प्रसाद, फार्मासिस्ट | सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा | जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया |
| 14. | श्री उपेन्द्र साही, फार्मासिस्ट | अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, गोपालगंज | सिविल सर्जन, गया |
| 15. | श्री धनेश कुमार, फार्मासिस्ट | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीपालपुर, भागलपुर | सिविल सर्जन, वैशाली |

2. सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को पत्र निर्गत के 48 घंटे के अंदर विरमित कर दिया जाय, अन्यथा स्वतः विरमित समझे जाएंगे।



3. प्रतिनियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान उनके प्रतिनियुक्ति स्थल से उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापित संस्थान से की जायेगी।
4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

8/3/19
(डॉ० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

सं०सं०-4/विधि-8-138/2018

439(4)

/स्वा०, पटना, दिनांक-8/3/19

प्रतिलिपि-सभी उपरोक्त फार्मासिस्टों/सभी संबंधित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सभी संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-04 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

8/3/19
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।